6/4/26

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सृष्टि जैन (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
127/2025	01.09.2026	06.04.2026

बउनवान

1. छाजूराम पुत्र प्रभातीलाल
2. हरिसिंह पुत्र प्रभात
3. जयलाल पुत्र श्योनारायण
4. फूला पुत्री श्योनारायण
5. मेवा पुत्री श्योनारायण
6. लाली पुत्री श्योनारायण जातियान अहीरान निवासीयान भोजपुरी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

—: प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान।

—: अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136
भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थी वकील :– श्री सतीश यादव

प्रार्थना पत्र मिन प्रार्थी की और से निम्न पेश है :–

1. यह है कि आराजी ख0न0 हाल 203 रकबा 0.58 हैक0, ख0न0 204 रकबा 0.29 है0 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0 में प्रार्थीगणों की कब्जेकाश्त व खातेदारी की आरीजी है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजी के साबिक ख0न0 के हाल खसरा नम्बरान निम्न प्रकार से भू–प्रबंधक विभाग सम्वत 2071 द्वारा पैमूद किये गये हैं–

क्रं0 सं0	साबिक ख0न0	श्रकबा	हाल ख0न0	श्रकबा
1.	183	2 बीघा 6 बिस्वा	203	0.58 हैक0
2.	184	1 बीघा 3 बिस्वा	204	0.29 हैक0

3. यह है कि विवादित आराजी साबिक ख0न0 183 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा व ख0न0 184 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर में प्रार्थीगणो के बुजूर्ग प्रभात पुत्र मंगला व 1/2 भाग पूरू पुत्र माती 1/2 भाग की कब्जेकाश्त की आराजी थी, चूंकि ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर जागीर का गांव था व इसलिए जागीदारी व विश्वेदारी उनमूलन के समय विवादित अराजी पर प्रार्थीगणों के पूर्वज ही काश्त करते थे। इसलिए प्रार्थीगण के पूर्वज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदार काश्तकार घोषित हो गये व प्रार्थीगणों के बुजूर्ग के नाम विवादित आराजी का खातेदारी के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया। मुलाहिजा हेतू जमाबन्दी सम्वत 2019 संलग्न प्रार्थना पत्र है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

जिसमें स्पष्ट रूप से प्रभात पुत्र मंगला 1/2 पुरू पुत्र मोती 1/2 सा0देह खातेदार दर्ज है। सजरा खानदान निम्न है–

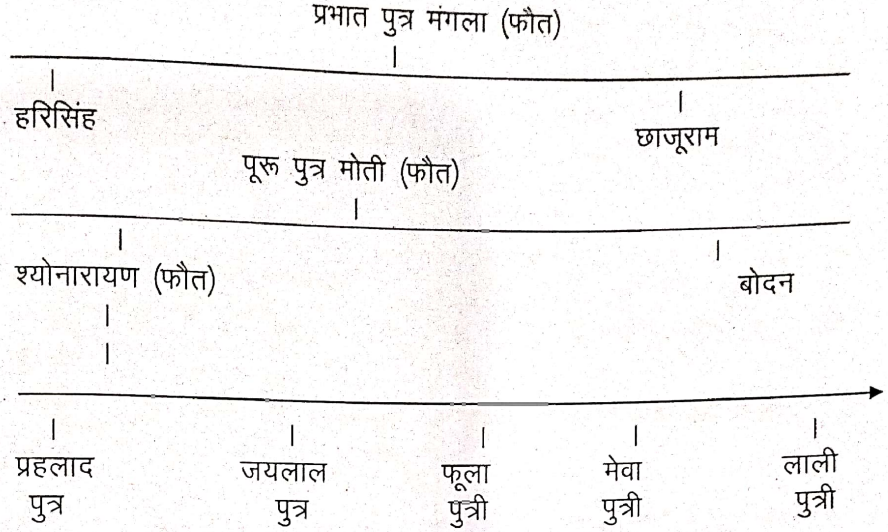

4. यह है कि प्रतिवादी द्वारा आगामी चौसाला जमाबन्दी बनाते समय व पुरू पुत्र गोती की विरास्त इन्तकाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में खातेदार शब्द हटा दिया। या लिपिकिय गलती से खातेदार शब्द लिखने से रह गया व राजस्व रिकार्ड को प्रभात पुत्र मंगला 1/2 श्योनारायण, बोदन पि0 पुरू मस. 1/2 सा. देह दर्ज किया जमाबन्दी सम्वत 2037 में जो राजस्व रिकार्ड बिल्कुल अशूद्ध है, जिसका कोई औचित्य नही है व राजस्व रिकार्ड शुद्धीकरण का मोहताज है। विवादग्रस्त परिवर्तन बिना किसी हुक्म या प्राधिकार के हुआ है जो एक गलती थी, जिसका शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित है।
5. यह है कि प्रतिवादी द्वारा सम्वत् 2037 की जमाबन्दी में किया गया अशुद्ध परिवर्तन ताःहाल चला आ रहा है, जिससे प्रार्थीगणो को राजस्व केन्द्र सरकार द्वारा जी जा रही कृषको को सुविधा का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है व ना ही अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भूमी का बयनामा इत्यादी तस्दीक हो पा रहा है।
6. यह है कि हाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज प्रहलाद पुत्र श्योनारायण की मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई जाइन्दा संतान नहीं है व प्रहलाद बिला विवाह नाओलाद फोत हुआ है प्रार्थी 3 ल0 6 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिस है इसलिए प्रहलाद पुत्र श्योनारायण के हिस्से को भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है ताकि राजस्व रिकार्ड शुद्ध होने के उपरान्त प्रहलाद पुत्र श्योनारायण का विरास्त इन्तकाल प्रार्थी स0 3 ल0 6 के नाम दर्ज व मंजूर हो सके, वर्तमान अशुद्ध रिकोर्ड के कारण विरास्त ईन्तकाल भी दर्ज नही हो पा रहा है।
7. यह है कि प्रार्थीगणों ने उक्त विवादित आराजी पर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने के लिए राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया कि प्रार्थीगण के नाम विवादित आराजी में खातेदार शब्द नही लिखा हुआ है व राजस्व रिकोर्ड अशुद्ध है तब प्रार्थीगण ने साबिक रिकॉर्ड सम्वत् 2019 की जमाबन्दी व उसके बाद की जमाबन्दीयो की नकूलात हांसिल की मिलान क्षेत्रफल स0 2071 प्राप्त कर प्रतिवादी को विवादित आराजी के अशुद्ध रिकोर्ड की शुद्ध करने का

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने दिनांक 26/08/2025 को प्रार्थीगणों के अशुद्ध रिकोर्ड को शुद्ध करने से साफ इन्कार कर दिया जिस पर बिनादावी बिनायमुखास्मत पैदा होकर मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है।

अतः श्रीमान के समक्ष प्रार्थना दुरूस्ती इन्दाज पेश कर निवेदन है कि आराजी ख0न हाल 203 रकबा 0.58 हैक0, 204 रकबा 0.29 हैक0 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा, राज0 की जमाबन्दी सम्वत् 2019 वाके ग्राम भोजपुरी तह0 मुण्डावर के आधार पर हाल जमाबन्दी में प्रार्थीगणों के नाम के आगे सा.देह के बाद ''खातेदार'' शब्द अंकन दुरूस्त कर अशुद्ध राजस्व रिकोर्ड को शुद्ध करने के आदेश फरमाये जावे एवं प्रार्थीगणों की तरह ही प्रहलाद पुत्र श्योनारायण के नाम के आगे भी सादेह खातेदार का अंकन दुरूस्त फरमाये जाने के आदेश सादिर फरमाये जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर तहसीलदार मुण्डावर से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जो पत्रावली शामिल है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में हाल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, जमाबन्दी सम्वत 2071, जमाबन्दी सम्वत 2031 पेश की।

प्रार्थी की संक्षिप्त बहस
प्रार्थीगण की ओर से निवेदन है कि विवादित आराजी खसरा नं. 203 व 204, ग्राम भोजपुरी, तहसील मुण्डावर की भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि रही है, जिसका स्पष्ट उल्लेख जमाबन्दी सम्वत 2019 में "सा.देह खातेदार" के रूप में दर्ज है।

यह भी निवेदन किया गया कि तत्पश्चात तैयार की गई जमाबन्दी सम्वत 2037 में बिना किसी वैध आदेश, न्यायिक कार्यवाही अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के "खातेदार" शब्द हटा दिया गया, जो कि पूर्णतः लिपिकीय त्रुटि है। उक्त त्रुटि के कारण प्रार्थीगण के वैध खातेदारी अधिकार राजस्व अभिलेखों में परिलक्षित नहीं हो रहे हैं।

प्रार्थीगण ने अपने कथन के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2019, 2031, 2071 एवं मिलान क्षेत्रफल अभिलेख प्रस्तुत किए हैं, जिनसे यह प्रमाणित होता है कि मूल रूप से प्रार्थीगण के पूर्वज खातेदार काश्तकार थे तथा उनके अधिकारों में किसी प्रकार का विधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

अतिरिक्त रूप से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रहलाद पुत्र श्योनारायण की मृत्यु बिना संतान के हो चुकी है, अतः उसके हिस्से का उत्तराधिकार प्रार्थी संख्या 3 से 6 के पक्ष में दर्ज किया जाना न्यायोचित है, किंतु वर्तमान अशुद्ध राजस्व अभिलेख के कारण विरासत दर्ज नहीं हो पा रही है।

यह भी कहा गया कि राजस्व अभिलेखों में अशुद्धि के कारण प्रार्थीगण को किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

में कठिनाई हो रही है तथा भूमि के लेन–देन (बयनामा) में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना की गई कि यह माननीय न्यायालय धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत उक्त स्पष्ट लिपिकीय त्रुटि को सुधारते हुए वर्तमान जमाबन्दी में "सा.देह खातेदार" शब्द का पुनः अंकन करवाने का आदेश पारित करे तथा राजस्व अभिलेख को शुद्ध किया जावे।

प्रार्थना :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन / दुरुस्ती करने की कृपा की जावे।

संक्षिप्त विवेचन

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में कथित अशुद्धि (खातेदार शब्द अंकन) के सुधार हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण का मुख्य आधार सम्वत 2019 की जमाबन्दी है, जिसके आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार शब्द जोड़ने की मांग की गई है।

रिकॉर्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि सम्वत 2037 से निरंतर राजस्व अभिलेखों में संबंधित खातों में "खातेदार" शब्द अंकित नहीं है तथा यह स्थिति लंबे समय से चली आ रही है। इस प्रकार की प्रविष्टि को केवल लिपिकीय त्रुटि मानना उचित प्रतीत नहीं होता, बल्कि यह एक दीर्घकालिक अभिलेखीय स्थिति है, जो समय–समय पर तैयार जमाबन्दियों में यथावत बनी रही है।

धारा 136 के अंतर्गत केवल स्पष्ट एवं साधारण लिपिकीय त्रुटियों का ही सुधार किया जा सकता है। जबकि वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया संशोधन राजस्व अभिलेखों के मूल स्वरूप एवं अधिकार निर्धारण को प्रभावित करता है, जो कि केवल लिपिकीय त्रुटि का मामला नहीं है, बल्कि अधिकार विवाद (Title Dispute) की श्रेणी में आता है। ऐसे विवाद का निस्तारण सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्य एवं विधिक परीक्षण के पश्चात ही किया जा सकता है।

अतः उपलब्ध अभिलेखों, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तथ्यों के सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि प्रार्थना पत्र धारा 136 के अंतर्गत विचारणीय नहीं है तथा प्रार्थीगण का दावा इस धारा के अंतर्गत स्वीकार योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2026 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर खैरथल-तिजारा

Scanned with OKEN Scanner